

प्रारंभिक परीक्षा

सर्वोच्च न्यायालय ने ECI को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सत्यापन के दौरान EVM डेटा हटाया न जाए

संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के सत्यापन के दौरान उनसे मतदान संबंधी डेटा नष्ट न किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बारे में -

- **डेटा को मिटाना या पुनः लोड नहीं करना:** न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सत्यापन के दौरान मतदान डेटा को न तो मिटाया जाए और न ही पुनः लोड किया जाए।
- **सत्यापन प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण:**
 - अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों की उपस्थिति में बर्न मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच की जानी चाहिए।
 - EVM निर्माताओं के इंजीनियरों को यह प्रमाणित करना होगा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।
- **सत्यापन लागत में कमी:** अदालत ने पाया कि EVM सत्यापन की वर्तमान लागत 40,000 रुपये बहुत अधिक है और उसने ECI को लागत कम करने का निर्देश दिया।
- **ECI से संक्षिप्त हलफनामा:** अदालत ने ECI से अपनी सत्यापन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने को कहा।

EVM सत्यापन प्रक्रिया के मुख्य पहलू -

- **सत्यापन के लिए पात्र उम्मीदवार:** केवल वे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने चुनाव में दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त किया हो।
- **सत्यापन का दायरा:** प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM की जांच की जा सकती है।
- **आवेदन प्रक्रिया:** उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने के सात दिनों के भीतर लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
- **जिम्मेदार प्राधिकारी:** जिला निर्वाचन अधिकारी, इंजीनियरों के समन्वय से, सत्यापन की देखरेख करेंगे।
- **लागत एवं रिफंड:** उम्मीदवारों को सत्यापन की लागत वहन करनी होगी, लेकिन छेड़छाड़ पाए जाने पर उन्हें राशि वापस कर दी जाएगी।

स्रोत: [The Hindu - Don't erase or reload EVM data](#)

कोको की कमी

संदर्भ

आइवरी कोस्ट के अधिकांश कोको उत्पादक क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा के कारण अप्रैल से सितंबर तक मध्य फसल मौसम की शुरुआत में देरी हो सकती है, जिससे कोको बीन्स की कमी हो सकती है।

कोको के बारे में -

- कोको (थियोब्रोमा काकाओ) एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जिसके बीज (कोको बीन्स) का उपयोग चॉकलेट, कोकोआ बटर और कोको पाउडर बनाने के लिए किया जाता है।
- इसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है, लेकिन अब यह अफ्रीका, एशिया और मध्य अमेरिका में व्यापक रूप से उगाया जाता है।
- जलवायु आवश्यकताएँ:
 - इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।
 - तापमान: 21°C से 32°C (आदर्श तापमान 25°C के आसपास है)
 - वर्षा: 1,500-2,500 मिमी प्रति वर्ष, अच्छी तरह से वितरित
 - मिट्टी का प्रकार: गहरी, अच्छी जल निकासी वाली, तथा कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध
- छाया एवं पवन सुरक्षा:
 - कोको के पेड़ छाया-प्रेमी होते हैं और अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए उन्हें आंशिक छाया की आवश्यकता होती है।
 - केले और नारियल जैसे ऊंचे पेड़ों को अक्सर छाया के लिए कोको के साथ लगाया जाता है।
- दुनिया भर में शीर्ष उत्पादक: (1) कोटे डी आइवर (2) घाना (3) इंडोनेशिया
- शीर्ष उत्पादक भारत: (1) केरल (2) कर्नाटक (3) तमिलनाडु
 - केरल और कर्नाटक शीर्ष उत्पादक हैं, तथा दोनों मिलकर भारत के कोको उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान करते हैं।



यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से देश दुनिया के दो सबसे बड़े कोको उत्पादकों के रूप में जाने जाते हैं? (2024)

- (1) अल्जीरिया और मोरक्को
- (2) बोत्सवाना और नामीबिया
- (3) कोटे डी आइवर और घाना
- (4) मेडागास्कर और मोजाम्बिक

उत्तर:(c)

स्रोत: [The Hindu - Cocoa](#)

सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंग और गौरवकों पर जनहित याचिका का निपटारा किया

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका (PIL) का निपटारा कर दिया है जिसमें मॉब लिंग(भीड़ द्वारा हत्या) और गौरवकों की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ -


- सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि इस मामले को पहले ही 2018 के तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ मामले में संबोधित किया जा चुका है।
- अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि तहसीन पूनावाला मामले में जारी निर्देश संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सभी प्राधिकारियों पर बाध्यकारी हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली से विभिन्न राज्यों में लिंग और सतर्कतावाद की घटनाओं की निगरानी करना अव्यावहारिक होगा।

तहसीन एस. पूनावाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश (2018) -

- **निवारक उपाय**
 - सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे मॉब लिंग(भीड़ द्वारा हत्या) की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें।
 - राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां लिंग और गौरवकों की घटनाएं प्रचलित हैं, तथा उन क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ायें।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया कि वे घृणा फैलाने वाले भाषणों और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाएं, जो भीड़ की हिंसा को भड़का सकती हैं।
- **दंडात्मक उपाय**
 - लिंग के मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी।
 - दोषियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिसमें लिंग से संबंधित अपराधों के लिए आजीवन कारावास भी शामिल है।
- **पीड़ितों को मुआवजा**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को भीड़ हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना विकसित करने का निर्देश दिया।
 - क्षतिपूर्ति का निर्धारण चोट की गंभीरता, आजीविका की हानि और चिकित्सा व्यय के आधार पर किया जाना था।
- **सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही**
 - लिंग की घटनाओं को रोकने में लापरवाही के लिए सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
 - राज्यों को भीड़ हिंसा के मामलों में कानून और व्यवस्था लागू करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।
- **विधायी उपाय**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से आग्रह किया कि वह कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने के लिए लिंग के खिलाफ एक अलग कानून बनाने पर विचार करे।

- इसके बाद राजस्थान और मणिपुर जैसे कुछ राज्यों ने लिंग विरोधी कानून बनाए, लेकिन राष्ट्रीय कानून अभी भी लंबित है।

स्रोत: [Indian Express- SC disposes of PIL](#)



अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में

संदर्भ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय से आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (CIP-SARC) की स्थापना में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

भारत और दक्षिण एशिया के लिए CIP-SARC का महत्व -

- उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ आगरा भारत की प्रमुख 'आलू बेल्ट' का हिस्सा है।
- भारत में एक CIP केंद्र से भारतीय किसानों और अन्य दक्षिण एशियाई देशों को निम्नलिखित लाभ होंगे:
 - जलवायु-अनुकूल और रोग-मुक्त आलू की नई किस्मों का विकास करना।
 - आलू की खेती में वैज्ञानिक अनुसंधान और वैश्विक नवाचार को समर्थन देना।
 - भारतीय किसानों की प्रसंस्करण और निर्यात क्षमताओं को मजबूत करना।
- चीन ने 2017 में यानकिंग, बीजिंग में एक ऐसा ही केंद्र स्थापित किया, जो पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है।
- भारत के मौजूदा आलू और कंद अनुसंधान केंद्र:
 - आईसीएआर-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीपीआरआई), शिमला – आलू अनुसंधान में विशेषज्ञता।
 - आईसीएआर-केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीटीसीआरआई), तिरुवनंतपुरम - शकरकंद अनुसंधान में विशेषज्ञता।

अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP)

- CIP एक पेरू स्थित अनुसंधान-विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी (मुख्यालय - लीमा, पेरू)।
- यह निम्नलिखित पर केंद्रित है:
 - आलू और शकरकंद पर अनुसंधान।
 - एंडियन जड़ें और कंद (दक्षिण अमेरिका में पेरूवियन-बोलिवियन एंडीज़ के मूल निवासी)।
- आगरा में CIP-SARC भारत का दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र होगा।
- 2017 में, कृषि मंत्रालय ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (IRRI-SARC) की स्थापना का समर्थन किया।

आलू उत्पादन

- शीर्ष आलू उत्पादक देश: (1) चीन (2) भारत (3) रूस।
 - चीन और भारत मिलकर वैश्विक आलू उत्पादन का एक तिहाई से अधिक उत्पादन करते हैं।
- भारत में शीर्ष आलू उत्पादक राज्य: (1) उत्तर प्रदेश (2) पश्चिम बंगाल (3) बिहार।

स्रोत: [Indian Express - Peru's potato research](#)


आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी शक्ति सेमीकंडक्टर चिप विकसित की

संदर्भ

भारत की पहली स्वदेशी एयरोस्पेस-ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप, 'शक्ति', आईआईटी मद्रास और इसरो द्वारा विकसित की गई है।

शक्ति सेमी-कंडक्टर चिप्स के बारे में -

- शक्ति एक स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर है जो RISC-V ओपन-सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (ISA) पर आधारित है।
- इसे माइक्रोप्रोसेसर प्रौद्योगिकी में उच्च सुरक्षा, विश्वसनीयता और आत्मनिर्भरता के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे आईआईटी मद्रास ने इसरो के सहयोग से विकसित किया है, तथा इसे डिजिटल इंडिया RISC-V(DIRV) पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा समर्थित किया गया है।



IRIS चिप की मुख्य विशेषताएं -

- अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया: इसरो की कमांड और नियंत्रण प्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करती है।
- दोष-सहिष्णु और अत्यधिक विश्वसनीय: कठोर अंतरिक्ष स्थितियों का सामना कर सकती है।
- कस्टम-निर्मित मॉड्यूल: इसमें वॉचडॉग टाइमर और उन्नत सीरियल बसें शामिल हैं।
- मल्टीपल बूट मोड: भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए विस्तार को सक्षम बनाती है।
- हाइब्रिड मेमोरी एक्सटेंशन: भंडारण और प्रसंस्करण क्षमताओं में लचीलापन प्रदान करती है।
- पूर्णतः भारत में निर्मित।

स्रोत: [The Hindu - Shakti chip](#)

कानपुर में चमड़े के कारखानों के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट

संदर्भ

हाल ही में एनजीटी के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने चमड़े के कारखानों(Tanneries) से होने वाले प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कानपुर और फतेहपुर जिलों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच कराई।

चमड़े के कारखानों (Tanneries) का स्वास्थ्य पर प्रभाव -

- चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग में चमड़े के कारखानों में जहरीले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे श्रमिकों और आसपास के निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा होता है।
- चिकित्सा परीक्षणों में निवासियों के रक्त के नमूनों में पारा और क्रोमियम का उच्च स्तर पाया गया, जिसके कारण तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।
- प्राथमिक प्रदूषकों में क्रोमियम, पारा, सीसा, आर्सेनिक, सल्फर यौगिक और अमोनिया शामिल हैं।

प्रदूषक	स्वास्थ्य पर प्रभाव
हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम (Cr6+)	फेफड़े का कैंसर, गुर्दे और यकृत की क्षति, त्वचा के अल्सर और श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं।
पारा(Mercury)	इससे तंत्रिका संबंधी विकार, संज्ञानात्मक हानि और गुर्दे की विफलता होती है।
सीसा(Lead)	इससे मस्तिष्क क्षति, बच्चों में विकास संबंधी विकार और हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं।
आर्सेनिक	त्वचा, फेफड़े और मूत्राशय के कैंसर के साथ-साथ यकृत रोगों का खतरा बढ़ जाता है

चमड़े के कारखानों का पर्यावरणीय प्रभाव

- **जल प्रदूषण:**
 - क्रोमियम, सल्फाइड और कार्बनिक पदार्थ युक्त अनुपचारित अपशिष्टों को नदियों और भूजल में छोड़ देते हैं।
 - उदाहरण: कानपुर के चमड़े के कारखानों का कचरा गंगा नदी को प्रदूषित करता है, जिससे पानी पीने, कृषि और जलीय जीवन के लिए असुरक्षित हो जाता है।
- **मृदा प्रदूषण:**
 - क्रोमियम और आर्सेनिक कृषि क्षेत्रों में रिसकर मिट्टी को विषाक्त और अनुपजाऊ बना देते हैं।
 - दूषित फसलें उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती हैं।
- **वायु प्रदूषण:** चमड़े के कारखाने हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और कणिका पदार्थ छोड़ते हैं, जिसके कारण:
 - अम्लीय वर्षा (फसलों और जल निकायों को नुकसान पहुँचाना) होती है।
 - आस-पास की आबादी में श्वसन संबंधी बीमारियाँ होती हैं।

स्रोत: [Indian Express - Kanpur Tanneries](#)

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक(Corruption Perception Index-CPI)2024

संदर्भ

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपना वार्षिक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024 जारी किया, जो दुनिया भर में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की स्थिति पर प्रकाश डालता है।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) - 2024 के बारे में -

- वैश्विक औसत स्कोर 43 बना हुआ है, जो 2023 से अपरिवर्तित है।
- दो-तिहाई से अधिक देशों का स्कोर 50 से नीचे है, जो व्यापक भ्रष्टाचार का संकेत है।
- भारत 38 अंक के साथ 180 में से 96वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष से एक अंक कम है।

CPI भ्रष्टाचार को कैसे मापता है?

- CPI सार्वजनिक क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है।
- स्कोर की गणना 0 से 100 के पैमाने पर की जाती है:
 - 0 = अत्यधिक भ्रष्ट
 - 100 = बहुत स्वच्छ
- विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच और निजी जोखिम परामर्श फर्मों की रिपोर्टों सहित 13 डेटा स्रोतों का उपयोग करता है।

- शीर्ष 5 सबसे कम भ्रष्ट देश (उच्चतम स्कोर): (1) डेनमार्क (2) फिनलैंड (3) सिंगापुर (4) न्यूजीलैंड।
- सबसे भ्रष्ट 5 देश (सबसे कम स्कोर): (1) दक्षिण सूडान (2) सोमालिया (3) वेनेजुएला (4) सीरिया।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- यह एक वैश्विक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है जिसका मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी।
- यह भ्रष्टाचार से लड़ने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए काम करता है।
- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) इसकी प्रमुख रिपोर्ट है, जो 1995 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है।

स्रोत: [Indian Express - Corruption Perception](#)


पृथ्वी की आंतरिक कोर संभवतः आकार बदल रही है

संदर्भ

हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक कोर, जिसे पहले ठोस और अपरिवर्तित माना जाता था, पिछले 20 वर्षों में काफी विकृत हो गई है।

पृथ्वी की कोर: संरचना और कार्यप्रणाली -

- पृथ्वी की कोर सतह से लगभग 6,400 किमी नीचे स्थित है और इसमें दो मुख्य परतें हैं:
 - **आंतरिक कोर** - एक ठोस गोला जो अधिकतर लोहे और निकल से बना होता है।
 - **बाहरी कोर** - पिघली हुई (तरल) धातु की एक परत जो आंतरिक कोर को घेरती है।
- **पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कोर की भूमिका:**
 - तरल बाहरी कोर की गति, जियोडायनेमो प्रभाव नामक प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है।
 - यह चुंबकीय क्षेत्र हानिकारक सौर विकिरण के विरुद्ध एक ढाल के रूप में कार्य करता है, तथा पृथ्वी के वायुमंडल को नष्ट होने से रोकता है।
 - यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाए या गायब हो जाए, तो जीवन अत्यधिक सौर विकिरण के संपर्क में आ जाएगा, जिससे यह ग्रह जीवन के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा, ठीक मंगल ग्रह की तरह, जिसने अरबों वर्ष पहले अपना चुंबकीय क्षेत्र खो दिया था।




अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- आंतरिक कोर, जिसे आमतौर पर गोलाकार माना जाता है, में कुछ क्षेत्रों में 100 मीटर तक की ऊंचाई तक विकृति का अनुभव हुआ है।
- 1991 और 2023 के बीच आए भूकंपों से भूकंपीय तरंग विश्लेषण का उपयोग करके इन विकृतियों का पता लगाया गया था।
- सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 2010 के आसपास हुए, जब आंतरिक कोर पृथ्वी के घूर्णन के साथ फिर से जुड़ने से पहले अस्थायी रूप से धीमा हो गया।
- **वैज्ञानिकों ने परिवर्तनों को कैसे मापा?**
 - चूंकि कोर का प्रत्यक्ष अन्वेषण असंभव है, इसलिए वैज्ञानिक भूकंप से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों पर निर्भर रहते हैं।
 - जब ये तरंगें पृथ्वी की विभिन्न परतों से होकर गुजरती हैं, तो वे अपने सामने आने वाली भौतिक संरचना के आधार पर अपनी गति और दिशा बदल लेती हैं।
 - भूकंपीय तरंग पैटर्न का विश्लेषण करके, शोधकर्ता आंतरिक कोर की संरचना और गति का अनुमान लगा सकते हैं।

- **खोज का महत्व:** यह पिछली धारणाओं को चुनौती देता है कि आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन केवल भूवैज्ञानिक समय-सीमा में ही होते हैं।

स्रोत: [Indian Express - Earth's Inner core](#)



पेरिस में एआई एक्शन समिट 2025

संदर्भ

पेरिस एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के दौरान 58 देशों ने "समावेशी और सतत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" पर एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं।

शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें -

- **एआई एक्शन समिट 2025 की सह-अध्यक्षता भारत और फ्रांस द्वारा की गई।**
- भारत, चीन, ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय आयोग सहित 58 देशों ने "लोगों और ग्रह के लिए समावेशी और सतत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए।
 - अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किये।
- वक्तव्य में एआई की पहुंच, विश्वास, सुरक्षा और बाजार संकेन्द्रण के बिना विकास पर जोर दिया गया है।

शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय

- **सार्वजनिक हित एआई** - सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए महत्वपूर्ण खुली एआई अवसंरचना का विकास करना।
- **कार्य का भविष्य** - निरंतर सामाजिक संवाद के माध्यम से सामाजिक रूप से जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देना।
- **नवाचार और संस्कृति** - रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योगों सहित आर्थिक क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले टिकाऊ एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
- **एआई में विश्वास** - एआई में सुरक्षा, संरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना।
- **वैश्विक एआई शासन** - एक समावेशी और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय एआई शासन ढांचा विकसित करना।

पब्लिक इंटरैस्ट एआई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

- भारत, केन्या, जर्मनी, चिली, फिनलैंड, स्लोवेनिया, फ्रांस, नाइजीरिया और मोरक्को ने एक सार्वजनिक हित एआई प्लेटफॉर्म और इनक्यूबेटर लॉन्च किया।
- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी एआई पहलों के बीच की खाई को पाटना और डिजिटल विभाजन से निपटना है।
- प्रमुख फोकस क्षेत्रों में तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, डेटा, पारदर्शिता, लेखा परीक्षा, कंप्यूटिंग, प्रतिभा विकास और वित्तपोषण शामिल हैं।

स्रोत: [The Hindu - inclusive and sustainable AI](#)

ट्रम्प ने विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम पर रोक लगाई

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) 1977 को निलंबित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

FCPA निलंबन पर कार्यकारी आदेश

- आदेश में नई FCPA जांच पर रोक लगा दी गई है तथा अटॉर्नी जनरल से कानून की समीक्षा करने तथा संशोधित प्रवर्तन मार्गदर्शन जारी करने का अनुरोध किया गया है।
- ट्रम्प ने इस कदम को उचित ठहराते हुए दावा किया कि FCPA अमेरिकी व्यवसायों को विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में नुकसान में डालता है।
- समीक्षा के आधार पर निलंबन 180 दिनों से अधिक बढ़ाया जा सकता है।
- निलंबन से अडानी समूह और उसके अधिकारियों को लाभ हो सकता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रिश्वतखोरी से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे हैं।

विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) के बारे में -

- FCPA एक भ्रष्टाचार विरोधी कानून है जिसे 1977 में विदेशों में अमेरिकी व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था।
- इसे न्याय विभाग (DOJ) और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) द्वारा लागू किया जाता है।

FCPA की मुख्य विशेषताएं

- रिश्वतखोरी का निषेध: यह कानून व्यापार हासिल करने या बनाए रखने या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशी अधिकारियों को किसी भी मूल्यवान वस्तु की पेशकश, भुगतान, वादा या अधिकृत करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- आवेदन का दायरा - कौन शामिल है?
 - अमेरिकी व्यक्ति और कंपनियां: इसमें अमेरिका में या वहां से काम करने वाले नागरिक, निवासी और निगम शामिल हैं
 - विदेशी कम्पनियां एवं नागरिक: यदि उनकी गतिविधियों का संबंध अमेरिका से है, जैसे कि अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करना।
 - सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां: अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी कंपनियां FCPA के लेखांकन प्रावधानों के अधीन हैं।
- अधिकार क्षेत्र: यह विश्व में कहीं भी की जाने वाली कार्रवाइयों पर लागू होता है, यदि उनमें अमेरिकी संस्थाएं या उनके एजेंट शामिल हों।

स्रोत: [The Hindu - Trump pauses foreign bribery Act](#)

समाचार संक्षेप में

दाभोल ब्रेकवाटर परियोजना और LNG टर्मिनल

- दाभोल ब्रेकवाटर परियोजना, जो मूल रूप से अरब सागर में एनरॉन युग की पहल का हिस्सा है, 2001 से रुकी हुई है और अब इसे मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है।

दाभोल LNG टर्मिनल के बारे में -

- **स्थान:** दाभोल, रत्नागिरी जिला, महाराष्ट्र।
- **संपर्क:** अरब सागर के निकट, पश्चिमी भारत में प्रमुख गैस पाइपलाइनों और औद्योगिक केंद्रों तक पहुंच।
- **महत्व:**
 - विद्युत उत्पादन और औद्योगिक उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराता है।
 - कोयले और तेल पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है।
 - भारत की LNG आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

LNG टर्मिनल क्या है?

- तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) टर्मिनल एक ऐसी सुविधा है जिसका उपयोग LNG के आयात, भंडारण, पुनर्गैसीकरण और वितरण के लिए किया जाता है।
- LNG को क्रायोजेनिक टैंकों के माध्यम से तरल अवस्था में ले जाया जाता है ताकि मात्रा कम हो सके। टर्मिनल पर पहुंचने के बाद, इसे फिर से गैसीकृत किया जाता है और घरेलू और औद्योगिक खपत के लिए पाइपलाइनों में डाला जाता है।
- **भारत में प्रमुख LNG टर्मिनल:**
 - दाहेज, हजीरा और मुंद्रा - गुजरात
 - दाभोल - महाराष्ट्र
 - कोच्चि - केरल
 - एन्नोर - तमिलनाडु

स्रोत: [The Hindu - LNG imports](#)

विस्तृत कवरेज

जंगल की आग

संदर्भ



पिछले महीने, जब लॉस एंजिल्स में जंगल में आग भड़क उठी, तो जंगल की आग को रोकने और उससे निपटने की आवश्यकता एक बार फिर चिंता का विषय बन गई।

जंगल की आग क्या है?

जंगल की आग, जिसे वन अग्नि भी कहा जाता है, अनियंत्रित आग है जो वनस्पति के माध्यम से तेजी से फैलती है, जिससे प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षति होती है।

जंगल की आग का वर्गीकरण

- **सतही आग:** जंगल की सतह पर फैलती है, सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ और घास को जला देती है।
 - आग की लपटें सतह पर फैलती हैं और धीरे-धीरे वनस्पति को भी अपनी चपेट में ले लेती हैं।
- **भूमिगत आग (ज़ॉम्बी आग):** कम तीव्रता वाली आग जो सतह के नीचे जलती है और कार्बनिक पदार्थों को जलाती है।
 - खनिज मिट्टी के ऊपर मोटी कार्बनिक परतों वाले घने जंगलों में आम है।
 - ये धीरे-धीरे फैलती हैं तथा इनका पता लगाना और नियंत्रण करना कठिन होता है।
 - यह महीनों तक जल सकती है, जिससे मृदा क्षरण और वनस्पति आवरण नष्ट हो सकता है।
- **कैनोपी या क्राउन आग:** पेड़ों की ऊपरी कैनोपी से फैलती है, जो प्रायः तेज हवाओं और शुष्क परिस्थितियों के कारण होती है।
 - अत्यधिक तीव्र और अनियंत्रित करने के लिए चुनौतीपूर्ण।
- **नियंत्रित जानबूझकर लगाई गई आग (निर्धारित जलाना):** ईंधन के भार को कम करने और बड़े पैमाने पर जंगल की आग को रोकने के लिए वन प्रबंधन एजेंसियों द्वारा जानबूझकर लगाई गई आग।
 - पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और वन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है।
 - सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सख्त शर्तों के तहत आयोजित किया जाता है।



भारत में जंगल की आग -

FOREST FIRES IN INDIA




Number of forest fire detected by Forest Survey of India using SNPP-VIIRS sensors

TOTAL FOREST FIRES IN INDIA

Nov 2023 to Jun 2024	2,03,544
Nov 2022 to Jun 2023	2,12,249
Nov 2021 to Jun 2022	2,23,333
Nov 2020 to Jun 2021	3,45,989

Jammu & Kashmir +
Ladakh **3,861**



The forest fire season in India lasts between November to June
Source: Lok Sabha Reply

Network 18
creative

- भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, देश का 36% से अधिक वन क्षेत्र आग की चपेट में है।
- ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में वनों में आग की घटनाओं में 10 गुना वृद्धि हुई है, जबकि कुल वन क्षेत्र में मात्र 1.12% की वृद्धि हुई है।

भारत में जंगल में आग लगने की हालिया घटनाएँ

वर्ष	जगह	मुख्य विवरण

2023-2024	उत्तराखंड	1,313 से अधिक बड़ी वन आग की घटनाएं सामने आईं; उच्च तापमान और शुष्क परिस्थितियों के कारण आग और भी तीव्र हो गई।
2023	ओडिशा	642 बड़ी आग की घटनाएं हुईं; सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान काफी प्रभावित हुआ।
2019	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक	पांच दिनों में लगभग 10,920 एकड़ भूमि जल गई, जिससे उद्यान की जैव विविधता प्रभावित हुई।
2021	सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा	आग दो सप्ताह से अधिक समय तक जलती रही, जिससे पर्यावरण को व्यापक क्षति हुई।

वन अग्नि रोकथाम के लिए सरकारी पहल

- **वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना और वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना (FFPMS):** यह राज्य सरकारों को वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में सहायता करती है।
- **वन अग्नि ऐप:** वास्तविक समय पर जंगल की आग की चेतावनी प्रदान करता है।
- **उपग्रह-आधारित निगरानी को तेजी से अपनाना:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रदान करता है।
- **समुदाय-आधारित अग्नि प्रबंधन:** अग्नि निवारण प्रयासों में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** वन की आग को आपदा के रूप में मान्यता देता है।

भारत में वन अग्नि प्रबंधन को बढ़ाने के लिए कदम

- **वन अग्नि चेतावनी प्रणाली का उन्नयन:** तीव्र सत्यापन और प्रतिक्रिया के लिए वन अग्नि और अन्य प्रकार की अग्नि के बीच अंतर करने की प्रणाली की क्षमता में सुधार करना।
- **उन्नत पूर्वानुमान मॉडलिंग:** सक्रिय उपायों के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु जलवायु और भौगोलिक डेटा का उपयोग करना।
- **ड्रोन-आधारित निगरानी:** अग्नि-प्रवण क्षेत्रों की निगरानी करने, क्षति का आकलन करने और अग्निशमन प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरों के साथ ड्रोन तैनात करना।
 - तमिलनाडु और ओडिशा की पायलट पहलों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना।
- **एकीकृत डेटा विश्लेषण:** बेहतर अग्नि पूर्वानुमान और प्रबंधन के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के डेटा को संयोजित करना।
- **समुदाय-आधारित अग्नि निवारण:** स्थानीय समुदायों को मोबाइल ऐप, टोल-फ्री हेल्पलाइन और एसएमएस-आधारित प्रणालियों के माध्यम से वास्तविक समय में अग्नि संबंधी डेटा एकत्र करने और साझा करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित करना।
 - तेजी से स्थानीय प्रतिक्रिया के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना।
- **महिलाओं के नेतृत्व में अग्नि निवारण पहल:** आग के खतरों को कम करने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाइन नीडल संग्रह जैसी स्वयं सहायता समूह गतिविधियों का विस्तार करना।

- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:** समुदाय-नेतृत्व वाले वन अग्नि प्रबंधन को बढ़ाने के लिए नेपाल के सामुदायिक वन उपयोगकर्ता समूहों और इंडोनेशिया के अग्नि-मुक्त ग्राम कार्यक्रम की रणनीतियों को अपनाना।
- **युवा सहभागिता और अग्नि निवारण प्रशिक्षण:** जागरूकता, अग्नि जोखिम मानचित्रण और नियंत्रित दहन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को 'वन अग्नि स्काउट' के रूप में संगठित करना।
- **दीर्घकालिक समाधान के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** वनों की आग से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, नागरिक समाज समूहों और समुदायों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना।
 - टिकाऊ वन अग्नि प्रबंधन के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, बजट, प्रौद्योगिकी अपनाने और क्षमता निर्माण को मजबूत करना।

स्रोत: [The Hindu: Addressing the growing threat of forest fires](#)

